उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-3/2016/1830/43-1-2015-7(5)/2014
लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2015/1578/43-1-2014-7(1)/2013, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल, इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार्स आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 4,50,000/- में से द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 2,22,500/- (रूपये दो लाख बाइस हजार पॉच सौ मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्वतन पर रखी जाती है और आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रू0 2,22,500/- (रूपये दो लाख बाइस हजार पॉच सौ मात्र) आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अवैतनिक सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- भविष्य में राज्य सरकार द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की सहायता/अनुदान देने पर तभी विचार किया जाएगा जब संस्थान द्वारा अनुदान दिये जाने संबंधी नियमावली तथा स्वीक़त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि से संबंधित लेखे राज्य सरकार द्वारा आडिटेबुल होगें।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-46 के ''लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) '' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-442/दस-2015, दिनांक 02 जनवरी, 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

- - - - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2016/1830(1)/43-1-2015 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
6- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।